कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती अनुराधा जीनगर, प्रधानाचार्य, श्री केशरियाजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऋषभदेव जिला उदयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावन का क्यारा, कोटड़ा जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती अनुराधा जीनगर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 4804/2021 अनुराधा जीनगर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

याचिका संख्या 4804/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2021 द्वारा याचिकार्थी अनुराधा जीनगर को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए दो सप्ताह के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार 6 सप्ताह के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी अनुराधा जीनगर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन स्थान संशोधित कर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) उदयपुर/स्वामी विवेकानन्द राउमावि जावर माइन्स, उदयपुर/राउमावि लोयरा, बड़गाव, उदयपुर/राउमावि नान्दवेल, मावली उदयपुर में रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर समायोजन किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार करते हुए याचिकार्थी श्रीमती अनुराधा जीनगर का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोयरा, बड़गांव जिला उदयपुर किया जाता है। याचिकार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवीन समायोजन स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अनुराधा/4804/2021 दिनांकः 30.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती अनुराधा जीनगर, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)